न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	निर्णय
03/31/2021	12.11.2021	26.11.2021

01.दुलीचन्द पुत्र रामरतन बैरवा निवासी ग्राम सालोली तहसील रैणी, हाल निवासी न्यू बस्ती ग्राम दिवाकरी तहसील एवं जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू–राजस्व अधिनियम

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू0 अधिनियम प्रस्तुत किया प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा । बीघा वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसे प्रार्थी ने 16 साझेदारों के साथ जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 12.02.1987 को खरीद किया है। जिसमें खरीददार क्रमांक 16 पर दुलीचन्द पुत्र श्री अंग्रेज लिखा है जो गलत है। जबकि दुलीचन्द के पिता का नाम रामरतन बैरवा है। प्रार्थी के पिता को गांव में रामरतन बैरवा के अलावा अंग्रेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम अंग्रेज के स्थान पर रामरतन बैरवा दर्ज करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अलवर ने प्रार्थी के पिता का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में रामरतन जाति बैरवा निवासी सालोली तहसील रैणी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतःतहसीलदार अलवर की अनुषंशा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 181 रकबा 1 बीघा हाल खसरा नं. 232 रकबा 0.25 है0 में 1/17 हिस्से वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर में प्रार्थी के पिता के नाम अंग्रेज के स्थान पर रामरतन जाति

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

बैरवा निवासी सालोली तहसील रैणी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम तहसीलदार अलवर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोडवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोडवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर